तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.05.2025	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील सायलान को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील सायलान का कथन है कि भले ही मूलवाद प्रारम्भिक डिक्री किया जा चुका हो, किन्तु अभी बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को पाबंद किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। वकील गैरसायलान ने कथन किया सायलान ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया प्रतिवादी स्वयं बंटवारा चाहते है। उभयपक्ष की बहस का मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया, सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि गैरसायलान विवादित आराजी का बंटवारा कराना नहीं चाहते है। और सायलान को विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते है। सायलान का मूलवाद बंटवारे का है, पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि गैरसायलान द्वारा विवादित आराजी के किसी विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा या सायलान को बेदखल करने का प्रयास किया हो। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रथमदृष्टया सायलान को कोई भी क्षति सम्भावित नहीं है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को सिद्ध करने में असफल रहे है। इसलिए प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सायलान खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। **उपखण्डाधिकारी पदेन** सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)	